

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 32/18

सरकार

बनाम

श्री: रामदेव

श्री रत्नसिंह गुर्जर

नि. बड़ागाँव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 15/5/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामदेव पुत्र श्री रत्नसिंह जाति गुर्जर निवासी बड़ागाँव तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम बड़ागाँव की राजकीय आराजी खसरा नं. 123 रकबा 0.45 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

गे.मु. निर्माण मधन से

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये का गुना राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


नायब तहसीलदार

महवा (दौसा)

महवा जिला दौसा